बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

एस० ओ०   दिनांक–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा(1) के खण्ड (बी) के अधीन तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्षद से दिनांक–21.03.2025 की बैठक में परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कामगारों की मजदूरी को कुशल मजदूर के बराबर करने की घोषणा करते है।

यह 01 अक्टुबर 2025 से प्रभावी होगी।

एतद द्वारा प्रारूप अधिसूचना के गजट प्रकाशन के तिथि से दो माह के अवधि भी निर्धारित करते है जिस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति अपना आपत्ति एवं सुझाव समर्पित कर सकते है। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो श्रमायुक्त, बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ई–मेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अंकित अवधि के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

(संख्या–4/ M.W-40-14/2025 श्र0सं0–)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

Notification

Patna, Date:-

S.O.   Date-

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with sub-section (2) of section-5 of the said Act and under clause (b) of subsection (1) of section-5 of the said Act and after consultation with Bihar Minimum Wages Advisory Board in its meeting held on 21.03.2025, the Governor of Bihar is pleased to make the wages of Supervisor/Clerical equal to that of skilled labourer.

This will be effective from 01 October 2025.

We hereby also fix a period of two months from the date of publication of the draft notification in the gazette during which all the persons affected by it can submit their objections and suggestions. If there is any objection or suggestion, it will be sent to the Labor Commissioner Bihar or by e-mail at Icbihar@bihar.gov.in. The objection or suggestion given by any person will be considered by the State Government after the above mentioned period.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sh.No.-)

By order of Bihar Governor,

Signature

(Rajeev Ranjan)

Joint Secretary.

ज्ञापांक–(संख्या–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / –

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / निदेशक, श्रम ब्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना / मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना निरीक्षक / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना / उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

ह० / –

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 38 पटना, दिनांक– 27/06/2025

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.6.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।